बिन्दु सं0–7

किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

विभागीय योजनाओं में शादी–बीमारी अनुदान, अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न की दशा में सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं माननीय सांसद एवं विधायकों की सहभागिता के अन्तर्गत समितियाँ गठित हैं। उक्त गठित समितियों की बैठक आयोजित कर सहायता राशि के वितरण का निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार से योजना के संचालन में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की गयी है।